न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
सक्षम– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक–3833–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनाक–17–07–2014 पारित द्वारा तहसीलदार राहतगढ जिला सागर के प्रकरण कमांक–3689/बी–121/2013–2014

1–कमोद आयु 42 साल बल्द हरकिशन अहिरबार ।
2–किशोरी पुत्र पूरन अहिरवार आयु 55 साल ।
3–भुवानी पुत्र बलीराम अहिरवार आयु 45 साल ।
4–मोहन लाल पुत्र चुन्नीलाल आयु 50 साल ।
सभी निवासी–ग्राम–हिरनखेड़ तहसील राहतगढ़ जिला सागर ।

..........आवेदकगण

विरूद्ध

1– शाजरीन बी पति नूरखां आयु 40 साल
निवासी ग्राम–हिरनखेड़ा तहसील –राहतगढ़ जिला सागर ।

........अनावेदक

श्री एस0 पी0 धाकड अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक–07-10 – 2015)

आवेदकों द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार राहतगढ जिला सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक–17.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि इस प्रकरण में अनावेदिका शाजरीन बी द्वारा दिनांक–02.06.2014 को भूमि सर्वे कमांक–503 एवं 529 ग्राम हिरनखेड़ा तहसील राहतगढ़ जिला सागर का सीमांकन किए जाने हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय राहतगढ जिला सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर सीमांकन दल द्वारा दिनांक–15.7.14 को सीमांकन प्रतिवेदन

तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत सीमांकन कार्यवाही का प्रतिवेदन आक्षेपित होने के कारण तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक–17.7.14 के अनुसार सीमाकन कार्यवाही पुष्टि हेतु लंबित है जिसमें राजस्व निरीक्षक को मौके पर जाकर हितबद्ध व्यक्तियों को अपने–अपने क्षेत्र पर काबिज रहने की समझाइश देने के निर्देश है । यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक–17.7.14 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गयी है।

3/ प्रकरण में मुख्य बाद बिन्दु बन्दोबस्त के दौरान अभिलेख तैयार करते समय नक्शे में हुई त्रुटि एवं नवीन सर्वेक्षण संख्यांक निर्मित करने में हुए स्थान परिवर्तन के कारण ऐंसे अभिलेख के आधार पर किए गये सीमांकन से संबंधित है ।

4/ प्रकरण में उभय पक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि वास्तविकता में उनके (आवेदक के) पिता श्री हरकिशन को पट्टे पर प्राप्त भूमि के सीमांकन के संबंध में अनावेदिका द्वारा सीमाकंन का आवेदन लगाया गया है । सीमांकन के दौरान आवेदक को न तो सुनवाई का अवसर ही दिया गया और न हीं सूचना दी गयी तथा पक्षकार भी नहीं बनाया गया । बिना सूचना दिए सीमांकन की कार्यवाही कर सीमांकन कर दिया गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ने सीमांकन के दौरान यह कहा था कि पट्टेधारियों की भूमि से छेड़छाड़ नहीं की जावेगी, किन्तु उनके द्वारा पटटेधारियों को हटाकर उनके स्वामित्व की भूमि अनावेदक की भूमि में सम्मिलित कर दी गयी, आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी कहा गया कि विवादित भूमि के बंदोवस्त के पूर्व सर्वे कमांक–366/28 पर उनके पिता हरिकिशन को 2.00 है0 का पट्टा मिला था । इसी सर्वे नंबर के बंदोबस्त के बाद नये सर्वे कमांक 511 तथा 513 पर आवेदक कम्मोद आदि का नाम अंकित कर नामांतरण कर दिया गया । आवेदक कम्मोद स्वयं न्यायालय में उपस्थित था जिसके द्वारा बताया गया कि नवीन सर्वे कमांक–513 की कुछ भूमि को बंदोबस्त के बाद के नक्शे में हेराफेरी कर सर्वे कमांक–510 में सम्मिलित कर दिया गया है, ऐसा होने से उसके कब्जे वाली भूमि प्रभावित हो रही है । आवेदक कम्मोद ने यह भी बताया कि

बन्दोबस्त के बाद के नक्शों में गलत तरीके से (बंन्दोबस्त के पूर्व के नक्शे के मान स) फेरबदल कर पट्टे पर प्राप्त भूमियों को स्थान परिवर्तित कर अनावेदक के हिस्से में दिखाया जाकर सीमांकन के माध्यम से अनावेदक को कब्जा दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु विचार में लिया जावेगा। निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

5/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन के प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित न होकर सीमांकन कार्यवाही पुष्टि हेतु लंबित है । अनावेदक अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक द्वारा आदेश दिनांक—17.7.14 के विरूद्ध 31.10.14 को अपील प्रस्तुत की गयीं, जो 90 दिन से भी अधिक विलम्ब से है, जबकि वर्तमान में निगरानी प्रस्तुत करने की अवधि 60 दिवस है। उनके द्वारा नक्शों की प्रति प्रस्तुत कर बताया गया कि अनावेदक की भूमि सर्वे क्रमांक—503 है, जबकि आवेदक की सर्वे क्रमांक—513 एवं 511 से संबंधित है जो अलग—अलग है, एवं सीमावर्ती भी नहीं है । उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदकों द्वारा अनावेदकों की भूमि पर बेजा कब्जा किया जा रहा है । इसकी पुष्टि में तहसीलदार के आदेश दिनांक—17.7.14 के पृ0क्र0 4 व 5 पर लेख अंकित होने का हवाला भी लिया । उक्त तर्कों के साथ निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

6/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया गया एवं नस्ती के अभिलेखों का परीक्षण किया गया । प्रकरण में निर्णय हेतु निम्न वाद बिन्दु उत्पन्न होते हैं —

1) वह सीमाकंन जिसका प्रतिवेदन दिनांक 15—7—14 को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, यदि निगराकार पक्ष के पक्षकारों को बगैर सूचना एवं अवसर के किया गया है, तो क्या वह वैध है?

2) क्या आवेदक पक्ष द्वारा अपील समय सीमा में प्रस्तुत की गयी है या नहीं, एवं इस बिन्दु का प्रकरण पर क्या प्रभाव है ?

3) क्या वादग्रस्त भूमियों के संबंध में राजस्व अभिलेखों एवं नक्शों को लेकर बन्दोबस्त के पूर्व एवं उपरांत विधिवत करस्पोंडेंस है या नहीं ?

4) क्या आवेदकगण की भूमियां (जो सर्वे कमांक 511–513 से संबद्ध है) बंदोबस्त सीमाकंन के उपरांत सर्वे नंबर 510 अथवा अन्य किसी सर्वे नम्बर में त्रुटिवश सम्मिलित हो गयी है ?

उपरोक्त वाद बिन्दुओं में सबसे महत्वपूर्ण एवं मूलभूत वाद बिन्दु कमांक 3 है जो बंदोबस्त के पूर्व एवं उपरांत की राजस्व अभिलेखों एवं नक्शों की स्थितियों के करस्पोंडेंस के संबंध में है ।

तहसीलदार के आर्डरशीट पर लिखे आदेश दिनांक 17–7–2014 में उन्होंने (तहसीलदार ने) यह लिखा है कि "बंदोबस्त से प्राप्त नक्शे में मौसमी नाले को चौड़ी अलामत से दर्शाया गया है तथा नदी को मौसमी संकीर्ण नाला दर्शाया है, जिसके कारण मौके पर भ्रांति बनी रही, जिसे मौके पर सभी कब्जेदार मानने को तैयार नहीं रहे हैं " ।

तहसीलदार के आदेश में आगे यह भी लिखा है कि इस प्रकरण के आवेदकगण वादग्रस्त भूमि के पट्टेदार है क्योंकि वे उसे अपनी भूमि खंडांक मानते है एवं इस प्रकरण की अनावेदिका शाजरीन बी भी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं ।

इस प्रकार तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक को दिनांक 17–7–14 के माध्यम से सभी पक्षकारों को मौके पर उनके खाते की सही भूमि का कब्जा दिलाने के निर्देश दिए गये है, तथा इस दिनांक को किसी सीमाकंन की पुष्टि नहीं की गयी है ।

वाद बिन्दु कमांक 1 जो सीमांकन की सूचना नहीं देने बाबत् है, पर विवेचना एवं निराकरण की उपरोक्त के प्रकाश में फिलहाल आवश्यकता नहीं है क्योंकि तहसीलदार द्वारा दिनांक 17–7–2014 को किसी सीमाकंन की पुष्टि की ही नहीं गयी है, बल्कि राजस्व निरीक्षक को मौके पर वस्तुस्थिति का जायजा लेकर कार्यवाही करने संबंधी निर्देश दिए गये हैं ।

वाद बिन्दु कमांक 2 जो परिसीमा अवधि के बाहर होने के संबंध में आपत्ति स्वरूप अनावेदक पक्ष द्वारा उठाया गया है, का भी इस स्टेज पर विनिर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध है ही नहीं, यह तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध है ।

वाद बिन्दु कमांक 3 के संबंध में प्रकरण में अभिलेखों एवं पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यह प्रबलता से सम्भावित प्रतीत हो रहा है कि बंदोबस्त के उपरांत जो राजस्व नक्शा एवं अभिलेख तैयार हुए है, उनकी बन्दोबस्त के पूर्व के राजस्व नक्शा एवं अभिलेख से सही–सही करस्पोंडेंस नहीं है ।

वाद बिन्दु कमांक 4 जो इस बाबत है कि क्या इस प्रकरण के निगराकार की भूमियां अन्य सर्वे नम्बरों में दबी है या नहीं, के संबंध में वाद बिन्दु कमांक–3 के मुद्दे पर स्पष्टता आने के उपरांत ही स्थिति ज्ञात हो सकती है ।

7/ उपरोक्त निष्कर्षों के अनुकम में, प्रकरण में वस्तुस्थिति की जांच होने तक, अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित सीमाकंन की पुष्टि हेतु प्रतीक्षित कार्यवाही दिनांक 17–7–2014 को स्थगित किया जाता है, तथा यह प्रकरण निम्न निर्देशों के साथ तहसीलदार को आगामी कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है–

1) बंदोबस्त की कार्यवाही में यदि इस प्रकार की त्रुटि हुई है, कि मौसमी नाले को चौड़ी नदी तथा नदी की मौसमी संकीर्ण नाला बनाकर दर्शा दिया गया है, तो इस त्रुटि को सुधारा जाए ।

2) सरल कमांक–1 के सुधार के परिणामस्वरूप क्षेत्र के सर्वे नम्बरों एवं प्रत्येक सर्वे नम्बर से संबंधित भूमि की चौहद्दी एवं रकबे में, बंदोबस्त के बाद की स्थिति में, यदि कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो, उसे भी सावधानी पूर्वक किया जावे ।

3) सरल कमांक 1 एवं 2 की कार्यवाही करते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जावे कि बंदोबस्त के पूर्व के सर्वे नम्बर एवं उनसे जुड़ी भूमियों की चौहद्दियों एवं बंदोबस्त के उपरांत पहचाने जाने वाले सर्वे नम्बरों से संबंधित भूमियों एवं उनकी सीमाओं में सही–सही करस्पोंडेंस हो, यानी किसी भी खातेदार की भूमि में

मौकें पर केवल इस कारण से परिवर्तन लाने की जरूरत न पड़े कि बंदोबस्त के फलस्वरूप नये सर्वे नम्बर दिए गये हैं, और नक्शे बनाए गये हैं, जब तक कि ऐसा करना बंदोबस्त की विहित प्रक्रियाओं के अनुसार विधिवत किया जाना योग्य नहीं हो। अर्थात्, तहसीलदार विवादित भूमियों के संबंध में बन्दोबस्त के पूर्व के नक्शा एवं सर्वेक्षण संख्यांक तथा उनके स्थान पर बनाए गये नवीन नक्शा एवं सर्वेक्षण संख्यांक का तुलनात्मक अध्ययन एवं परीक्षण कर यह देखें कि क्या आवेदकों एवं अनावेदकों को नये सर्वेक्षण संख्यांक पुराने नक्शे के अनुसार बन्दोबस्त के पूर्व के स्थान पर ही निर्मित किए गये है, या नहीं । यदि हॉ तो तदनुसार कार्यवाही की जावे और यदि नहीं तो पुराने के मान से यथा स्थान पर संबंधित पक्षकारों के सर्वेक्षण संख्यांक नये अभिलेख में सुधार कर बनाए जाएं । नये नक्शों में यदि पुराने नक्शों के मान से यथा स्थान पर विवादित सर्वेक्षण संख्यांक दर्शित हों, तो तदनुसार कार्यवाही की जावे और यदि नहीं तों पुराने नक्शों के मान से नये नक्शों में सुधार की कार्यवाही की जाकर पुराने नक्शों के मान से यथा स्थान विवादित सर्वे नम्बर स्थापित किए जावें । साथ ही, पटटा मिलने के समय से वर्तमान तक की सारी स्थिति बन्दोबस्त के पूर्व के अभिलेखीय आधार पर तैयार करना सुनिश्चित किया जावे जिसमें बन्दोबस्त के बाद की एवं पूर्व की दोनों कालावधियों का विवरण विद्यमान हो । यह भी ध्यान रखा जावे कि बंदोबस्त के दौरान तैयार किए गये अभिलेख में यदि उपरोक्त त्रुटि पायी जाती है, जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उन्हें सुधार हेतु विधि में निहित प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव भेजा जावे और यदि स्वंय सक्षम हों, तो तदनुसार अभिलेख सुधार की कार्यवाही की जावे ।

4) उपरोक्त सरल कमांक 1 से 3 की कार्यवाहियां करने के साथ अथवा उनके उपरांत यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रकरण से संबंधित किसी भी पक्ष की अथवा अन्य किसी हितबद्ध व्यक्ति की क्षेत्र में भूमियां किसी अन्य व्यक्ति के सर्वे नम्बर की भूमि के क्षेत्र में अनुचित रूप से दब न जावे ।

इस कार्यवाही से यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी पक्षकार के वैधानिक हित इस प्रक्रिया में की जाने वाली कार्यवाही के फलस्वरूप अनुचित रूप से खण्डित या प्रभावित नहीं हों ।

5) उपरोक्त 1 से 4 की समस्त कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता से संपादित की जावे, तथा उन्हें करने के पूर्व समस्त हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना दी जावे, उपस्थित रहने तथा अपनी बात समक्ष में रखने का युक्तियुक्त अवसर दिया जावे ।

6) उपरोक्त सरल कमांक 1 से 5 तक की कार्यवाही के उपरांत यह सुनिश्चित किया जावे कि मौके पर प्रत्येक पक्षकार एवं हितबद्ध व्यक्ति अपने खाते की भूमि पर सही–सही काबिज हो ।

8/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस हों।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य,
राजस्व मण्डल म0 प्र
ग्वालियर